

107 द. प्र. स.

राज सिंह मुष्क
रजि. नं. 107/17

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

रजि. नं. 107/17
मंगल मुष्क की

M-75/17 आदेश पत्रक

24/8/17

275
24/8/17

अभिलेख संख्या :- एम. 75 / 2017, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या :- 26/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द. प्र. स. 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 7/9/17 को उपस्थापित करें।

24.8.17
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

नोलिष तामिला अण्डाण | कगली तारीख

11.12.18 को ले

(R) 01.12.18

नोलिष तामिला अण्डाण | कगली तारीख

15.12.18 को ले

(R) 11.12.18

नोलिष तामिला अण्डाण रिनांक

07.01.19 को ले

(R) 11.12.18

नोलिष तामिला अण्डाण | कगली तारीख 19.01.18 को ले

(R) 07.01.18

नोलिष तामिला अण्डाण | रिनांक

28/01/19 को ले

नोलिष तामिला अण्डाण कोर रिनांक को कगली रिनांक 04.02.19 को ले

(R)

नोलिष तामिला अण्डाण कगली रिनांक

11.02.19 को ले

(R) 04.02.19

उभय दिशि पक्ष अनुपस्थित | प्रथम पक्ष द्वारा रुचि नहीं लेने के कारण नद को समाप्त किया जाता है।

(R) 11.02.19